न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 123 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए
वकील सिंह पुत्र श्री दलीपसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान

वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान
2. गुलाबसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. जसपिन्दर कौर पुत्री श्री दलीपसिह पत्नी हरजिन्दरसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया हाल आबाद धन्नूर तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान
4. तहसीलदार, राजस्व संगरिया तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण
2— श्री चरणजीत सिंह सिद्धू — वकील प्रति सं. 1 ता 3
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय दिनांक :— 15.4.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो कि मृतक जोगेन्द्रसिंह के वारिसान है। वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 11 / 69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2070—73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबंदी संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 की जद्दी जायदाद है। उक्त आराजी में वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के साथ जन्म से बहिब का विरासतन हक व हिस्सा बनता है। [illegible] 2 ने अपना हक व हिस्सा उक्त चक के अन्य [illegible] आराजी [illegible] समस्त प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने दावा की दफा 3 में द[illegible] सं. 1 हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः [illegible] दलीपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी कदर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:33:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एव दावेदार है। दावा की दफा 3 मे ... आराजी राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है उक्त ... वादी के नाप दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के ... अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई ... निवेदन किया कि वे वादी को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार ... मान इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अमल दरामद करवा देवे ... लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अत मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस ... निवेदन से स्पष्ट इनकारी हो गए। यही विनाय दावा है प्रतिवादी स 4 को लैण्ड ... होने के कारण बतौर प्रतिवादी औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इनके प्रति प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद वादी बाबत इस्तकरार हक का है। जो ... 2 – रूपए की न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है तथा समायत अदालत हाजा एव अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 11/69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी मे प्रतिवादी स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अमल दरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता मे से प्रतिवादी स. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी मे वादी वकील सिंह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं ... साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने ... के साथ ... चक 13 एस.बी.एन. खाता सं. 11/69 जमाबंदी सं. 2070–73 ... पेश करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस ... किया कि चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 11/69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ... 2070–73 में प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त दर्ज कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh ... Meena
Date: 2024.04.26 11:33:37
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादी ... सिंह व प्रतिवादी सं. 2 गुलाबसिंह तथा प्रतिवादी सं. 3 जसपिन्दर कौर प्रतिवादी सं. ... दलीपसिंह के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 13 एस.बी. एन. के खाता सं. 11/69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 11/69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra...
Meena
Date: 2024.04.26 11:3...
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 123 / 2024

वकील सिंह पुत्र श्री दलीपसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान

वादी

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. गुलाबसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. जसपिन्दर कौर पुत्री श्री दलीपसिंह पत्नी हरजिन्दरसिंह जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया हाल आबाद धन्नूर तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान
4. तहसीलदार, राजस्व संगरिया तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है चक 13 एस.बी.एन. के खाता सं. 11/69 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 दलीपसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.........X...मुब्लिक..........X...निल..........X...बाबत.....X...निल........X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी अदा करें।

दसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.04.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum Meena
Date: 2024.04.26 11:33:37 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया